

सागर डिपॉजिट्स & एडवांसेज लिमिटेड

उचित व्यवहार सहिता

परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उचित व्यवहार सहितां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय और सबसे अच्छे कॉपोरेट प्रथा के रूप में उचित प्रथा मानकों को निर्धारित करना है।

जाती, रंग, धर्म, वेवाहिक स्थिति या अपंगता के आधार पर भेदभाव के बिना सभी योग्य आवेदकों के लिए ऋण उत्पाद उपलब्ध हमारा नीति है और रहेगा। हमारी नीति सभी ग्राहकों को निष्पक्ष रूप से व्यवहार प्रदान करना है। हमारे कर्मचारी उचित, समान और सुसंगत तरीके से सहायता, प्रोत्साहन और सेवा प्रदान करेंगे।

हम यह सुनिश्चित करेंगे की शुल्क / फीस उधारकरता को उचित रूप से सूचित किया जाता है। इस सुविधा से सम्बंधित नियम और शर्तें भावी उधारकर्ताओं को दी जाएगी। हम यह प्रतिबंधता करते हैं कि ऋण देने के फैसले से सम्बंधित विवाद उचित रूप से हमारे द्वारा स्थापित एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा हल किया जायेगा।

प्रमुख प्रतिबद्धतया

1) ऋण के लिए आवेदन और उनके प्रसांस्करण

(a) सारे पत्राचार आवेदक कि क्षेत्रीय भाषा या भाषा जो आवेदक समझ सके उसमे किया जायेगा

b) ऋण आवेदनपत्र में हर वो आवश्यक जानकारी शामिल होगी जो उधारकरता के हितों को प्रभावित करता हो, ताकि अन्य NBFC की योजना के साथ अर्थपुरण तुलना की जा सके और उधारकरता सही निर्णय कर सके। ऋण आवेदनपत्र में उन सब दस्तावेजों का विवरण होगा जो आवेदन फार्म साथ जमा किया जाना होगा.

c) किंपनी सभी ऋण आवेदन प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगी। यह भी बताया जायेगा कि ऋण आवेदकों का निपटारा किस समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

d) ऋण आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से यह जानकारी देगा कि किंपनी को KYC मनको को पूरा करने और कानूनी और नियमो आवश्यकताओं का पालन करने के लिए ग्राहक से क्या क्या दस्तावेज प्राप्त करने होंगे। हम ग्राहक और उसके परिवार के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं; लेकिन यह जानकारी ग्राहक द्वारा तभी प्रस्तुत जाएगा यदि वह ऐसा करना चाहता है।

2) ऋण मूल्यअंकन और नियम एवं शर्तें

कम्पनी स्वकीर्ति पत्र के माध्यम से उधारकरता को लिखित रूप में या अन्यथा, ब्याज की वार्षिक दर और आवेदन की विधि सहित नियमों और शर्तों के साथ संवकृत ऋण की राशि और उधारकरता द्वारा इन नियमों और शर्तों की संवकृति को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।

ऋण मंजूरी पत्र और उधारकरता के लिए सभी संचार स्थानीय भाषा या उधारकरता द्वारा समझा जाने वाली भाषा में होगा।

ऋण की देर से चुकाई के लिए कम्पनी द्वारा लयागे गए दंडआत्मक ब्याज को ऋण करार में बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा।

ऋण कि संवकृति या वितरण के समय कम्पनी उधारकरता को ऋण करार कि प्रतिलिपि देगी ।

3) वितरण , नियमों और शर्तों में परिवर्तन

(a) कंपनी वितरित समय-सारणी, ब्याज दर , सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान दर सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकरता को नोटिस देगा । हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ब्याज और शुल्क में बदलाव केवल संभावित रूप से प्रभावित होंगे। इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त नियम को ऋण करार में शामिल किया जाएगा।

b) करार के तहत भुगतान या जल्दी भुगतान कि मांग / गति बढ़ाने का निर्णय ऋण करार के अनुरूप होगा ।

C) कंपनी सभी दय राशिओं के भुगतान पर सारी प्रतिभूतियों छोड देगी। यदि कंपनी किसी सम्पति का प्रयोग बकाया के वसूली के लिए कर रही है तो, वो ऐसे सभी शेष दावों और शर्तों जिनके अंतरगत वो प्रतिभूतियों को बनाए रखने का हकदार है, के बारे में विवरण के साथ उधारकरता को सूचित करेगा।

4) सामान्य

(a) ऋण करार के नियमों और शर्तों में दिए गए उद्देश्य को छोडकर, कंपनी उधारकरता के काम में हथक्षेप नहीं करेगी (जब तक कि ऋणदेने के पास ऐसी कोई नई जानकारी नहीं आ जाती, जो ऋणप्राप्तकरना ने पहले ना प्रस्तुत कि हो।

(b) उधारकरता के खाते के ट्रांसफर के लिए उधारकरता से अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में , कंपनी अपनी सहमति अन्यथा आप्पति , यहि कोई हो तो, अनुरोध प्राप्त होने के तारीख से २१ दिन के अंदर अवश्यह देगी । इस तरह का ट्रांसफर कानून के तहत और शर्तों के अनुसार होगा।

(c) ऋण की वसूली के मामले में कंपनी अनुचित उत्पीडन का प्रयोग नहीं करेगी (उदहारण सवरूप ऋणों की वसूली हेतु ऋणकरता को निरंतर असमय परेशान करना, मारपीट करना भयबीत करना।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

उत्पादों के सम्बन्ध में सभी शिकायत की सुनवाई के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्राप्त होने की तारिक से 30 दिनों के भीतर किया जायेगा ।

शिकायत निवारण अधिकारी

पंकज मोहता
344, नेमि सागर क्वींस रोड , वैशाली नगर , जयपुर
-302021, राजस्थान
मोबाइल :: +91 8058238666

यदि उधारकरता कंपनी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो दिए गए पते पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से संपर्क कर सकता है।

अफसर इन चार्ज - डिपार्टमेंट ऑफ़ नॉन बैंकिंग सुपरविशन
टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान

6) उधारकरता से ब्याज के सम्बन्ध में

कंपनी ने ब्याज , और अन्य खर्चों के सम्बन्ध में एक कार्यप्रणाली बनाई है और उधारकरता को खाते की सालाना ब्याज दर सूचित किया जाएगा।